<u>समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ</u>

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन, टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001
दूरभाष : 0522 –2627111, 2622363,
फैक्स : 0522 – 2615526, 2623578

पत्र संख्या 954 सीएचक्यू/20–876सीएचई/96 दिनांक 30 जुलाई, 2020

–: सूचना :–

परिवहन निगम की सेवा से, सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों को सीमित संख्या में पूर्णतः अस्थायी रूप से ''विषय विशेषज्ञ'' के रूप में मानदेय पर चयन किया जाना प्रस्तावित है। आवेदन हेतु प्रारूप एवं निर्धारित अर्हता का विवरण परिवहन निगम की अधिकारिक वेबसाइट www.upsrtc.com पर उपलब्ध है। केवल निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी तदनुसार दिनांक 10.08.2020 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(एस0 के0 दुबे)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन)
cgma@upsrtc.com

Downloaded from
www.upsrtc.com

<u>परिवहन निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु</u>

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन, टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

दूरभाष : 0522 –2627111, 2622363,

फैक्स : 0522 – 2615526, 2623578

पत्र संख्या 954(1) सीएचक्यू/20–876सीएचई/96 दिनांक 30 जुलाई, 2020

–: सूचना :–

निगम निदेशक मण्डल की दिनांक 24.07.2020 को सम्पन्न 229वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार परिवहन निगम मुख्यालय स्तर पर अनुभवी अधिकारियों की कमी के दृष्टिगत परिवहन निगम की सेवा में प्रधान प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक(वित्त) पद से सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों को सीमित संख्या में पूर्णतः अस्थायी रूप से ''विषय विशेषज्ञ'' के रूप में मानदेय पर रखा जाना प्रस्तावित है, आवेदन हेतु अर्हकारी शर्ते निम्नवत् हैं :–

1. दिनांक 01.04.2019 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अधिकारी आवेदन हेतु पात्र होंगे।
2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी भी आवेदन हेतु अर्ह होंगे।
3. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु दूरभाष पर अवगत कराया जायेगा।
4. अधिकारियों को आबद्धीकरण किये जाने के संबंध में आवश्यकता/संख्या का निर्धारण प्रबंध निदेशक के स्तर से किया जायेगा।
5. आबद्ध किये जाने से पूर्व अधिकारियों की विगत् सेवा में किये गये कार्यों, अनुभव एवं विशेषज्ञता को संज्ञान में लिया जायेगा।
6. इन अधिकारियों की पूरी सेवा अवधि में किये गये कार्यों को संज्ञान में लेते हुए विशेषकर विगत 10 वर्षों में किये गये कार्यों व उनको दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों में दिये गये दण्ड आदि को भी संज्ञान में लिया जायेगा।
7. अधिकारियों के आबद्धीकरण की अवधि का निर्धारण प्रबंध निदेशक के स्तर से किया जायेगा, जो एक बार में तीन माह से एक वर्ष की अवधि हेतु होगी।
8. अधिकारियों को संविदा/मानदेय पर उनकी 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही रखा जा सकेगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

9. निर्धारित अवधि हेतु मानदेय पर आबद्ध किये जाने वाले अधिकारी को समिति की बैठक दिनांक 19.01.2010 में निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिस पर परिवहन निगम की ओर से मुख्य प्रधान प्रबंधक (प्रशासन) द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

10. अधिकारियों को दिये जाने वाले मानदेय का निर्धारण उनकी योग्यता/अनुभव व निगम हित में उनकी उपयोगिता एवं उपयुक्तता के अधार पर प्रधान प्रबन्धक(संचालन) स्तर के अधिकारी को रूपया 60,000.00 प्रतिमाह क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर के अधिकारी को रूपया 55,000.00 प्रतिमाह, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त) स्तर के अधिकारी को रूपया 50,000.00 प्रतिमाह नियत मानदेय देय होगा।

11. इन अधिकारियों से परिवहन निगम की आवश्यकतानुसार कार्य लिये जाने का अधिकार प्रबंध निदेशक में निहित होगा।

12. मानदेय पर आबद्ध किये गये अधिकारियों को प्रबंध निदेशक द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताये हटाया जा सकेगा। इस हेतु किसी नोटिस आदि की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आबद्ध किये गये अधिकारी द्वारा परिवहन निगम को जानबूझकर वित्तीय क्षति पहुँचाने की दशा में उक्त की वसूली का विधिक अधिकार परिवहन निगम को होगा।

14. आबद्ध किये गये अधिकारियों को माह में केवल 01 आकस्मिक अवकाश देय होगा। कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।

15. विशेष परिस्थितियों में प्रबंध निदेशक द्वारा अतिरिक्त अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

16. अधिकारियों को आवश्यकतानुसार अवकाश दिवस में भी उच्च प्रबंधन द्वारा बुलाये जाने पर कार्यों के निस्तारण हेतु कार्यालय आना होगा, जिस हेतु कोई प्रतिकर अवकाश देय नहीं होगा।

17. किन्ही कारणों से निर्धारित अवकाश से अधिक दिवसों में अनुपस्थित होने की दशा में प्राप्त हो रहे मानदेय से समानुपातिक कटौती की जायेगी।

18. विभागीय कार्य से बाहर भेजे जाने की दशा में प्रबंध निदेशक आवश्यकतानुसार खर्च होने वाली धनराशि की स्वीकृति हेतु अधिकृत होंगे।

19. सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिकारी के रूप में प्राप्त होने वाले अन्य कोई लाभ देय नहीं होंगे।

20. उपरोक्त उल्लिखित शर्तो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा इस सम्बन्ध में संशोधन किये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक महोदय में निहित होगा।

21. उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी संशोधन की स्थिति को केवल निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(एस0 के0 दुबे)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन)

Downloaded from www.upsrtc.com

<u>परिवहन निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु</u>

<u>आवेदन का प्रारूप</u>

1– नाम–

2– शैक्षिक योग्यता–

2– सेवानिवृत्त के समय धारित पद

3– सेवानिवृत्त की तिथि

4– सेवानिवृत्त से विगत 05 वर्ष में किये गये कार्यो का विवरण

5– सेवा अवधि की विशेष उपलब्धता यदि कोई हो

5– अन्य विशेषज्ञता यदि कोई हो

6– स्थायी पता

7– ई–मेल

8– मोबाइल नम्बर

Downloaded from www.upsrtc.com

आवेदक के हस्ताक्षर